इटावा पुलिस
सराहनीय कार्य

#CRACKDOWN
 # चोरी की घटना का सफल अनावरण
#इटावा पुलिस एवं बदमाशो के बीच मुठभेड़

दिनांक 15.08.2026

- **चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार,**
- **कब्जे 03 अवैध तमन्चे 315 बोर, 06 जिंदा व 04 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 एण्ड्राइड फोन, 01 कीपैड फोन, 1.25 कुन्तल लोहे का सरिया शत-प्रतिशत (संबंधित मु0अ0सं0 239/2026), 01 टिर्री (घटना में प्रयुक्त) बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन मौर्य के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.08.2026 को वादी जीतपाल सिंह पुत्र राकेश बाबू निवासी लोहिया नगर थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.08.2026 की रात्रि को मेरे निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरो द्वारा लगभग 1.25 कुन्तल लोहे का सरिया चोरी कर लिया गया है। जिसके संबंध में **थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 239/2026 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 15.08.2026 को थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत गौतमपुरा नहर पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 04 व्यक्ति टिर्री में सवार होकर महेबा की ओर से गौतमपुरा नहर पुल की ओर आ रहे है। सूचना पर तत्काल थाना बकेवर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गयी, तभी 01 टिर्री आती हुयी दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया। टिर्री सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी जिस पर आत्मरक्षार्थ जबावी कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी। जिसमें **अभियुक्त नईमुद्दीन के दांये पैर में तथा संदीप के बांये पैर में गोली लगी तथा अभियुक्त अशोक को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार** किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

नोटः- अभियुक्त सोनू पुत्र कन्हाई लाल जो घनी झांड़ियो में छिपते हुये भागने में सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे 03 अवैध तमन्चे 315 बोर, 06 जिंदा कारतूस 315 बोर, 04 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 एण्ड्राइड फोन, 01 कीपेड फोन, 1.25 कुन्तल लोहे का सरिया, 01 टिर्री (घटना में प्रयुक्त) बरामद। बरामद लोहे के सरिया के संबंध में पुलिस टीम द्वारा कड़ायी से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों नें दिनांक 14.08.2026 की रात्रि को लोहिया नगर थाना बकेवर हीरो एजेंसी के पास निर्माणाधीन मकान से सरिया चोरी किया था।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 240/2026 धारा 109(1) (पु0मु0)/61(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है, एवं **मु0अ0सं0 239/2026 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी है।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संदीप पुत्र कल्लू पुत्र रोशनलाल निवासी सुभाष नगर भरथना रोड थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र करीब 32 वर्ष।**
2. नईमुद्दीन उर्फ नईम पुत्र निजामुद्दीन निवासी आजाद नगर नई बस्ती थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा **उम्र 26 वर्ष** ।
3. अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी आनन्दनगर थाना कोतवाली जनपद इटावा **उम्र 28 वर्ष**।

आपराधिक इतिहासः-

संदीप उर्फ कल्लू पुत्र रोशनलाल

1. मु0अ0सं0 153/2018 धारा 302/34/398 भादवि थाना-बैदपुरा,जनपद-इटावा।
2. मु0अ0सं0 154/2018 धारा 10/12 डकैती प्रभावी क्षेत्र अधि0, थाना-बैदपुरा,जनपद-इटावा।
3. मु0अ0सं0 160/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना-बैदपुरा,जनपद-इटावा।
4. मु0अ0सं0 003/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट,थाना-बैदपुरा,जनपद-इटावा।
5. मु0अ0सं0 563/2017 धारा 392/411 भादवि ,थाना-अजीतमल,जनपद-औरैया।
6. मु0अ0सं0 571/2017 धारा 307/401 भादवि ,थाना-अजीतमल,जनपद-औरैया।
7. मु0अ0सं0 573/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ,थाना-अजीतमल,जनपद-औरैया।
8. मु0अ0सं0 081/2089 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट,थाना-अजीतमल,जनपद-औरैया।
9. मु0अ0सं0 061/2016 धारा 401 भादवि ,थाना-चित्राहाट,जनपद- कमिश्नरेट आगरा
10. मु0अ0सं0 239/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना बकेवर जनपद इटावा।
11. मु0अ0सं0 240/2026 धारा 109(1) (पु0मु0)/61(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 240/2026 धारा 109(1) (पु0मु0)/61(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 03 अवैध तमन्चे 315 बोर
2. 06 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 04 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 02 एण्ड्राइड फोन
5. 01 कीपैड फोन
6. 1.25 कुन्तल लोहे का सरिया **(संबंधित मु0अ0सं0 239/2026)**
7. 01 टिर्री **(घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीमः- थानाध्यक्ष श्री विपिन मलिक थाना बकेवर मय टीम।